न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—311 / 2014 / 223 (2014 / 00063)

1. मोतिया पत्नि मूला (नाम तर्क)
2. रसाली पुत्री मूला,
3. सीता पुत्री मूला,
4. सुप्यार पुत्री मूला,
5. लाली पुत्री मूला,
6. छीतर पुत्र मूला,
7. तेजमल पुत्र मूला,
8. रामप्रसाद पुत्र मूला,
9. घनश्याम पुत्र मूला,

समस्त जाति बैरवा, निवासी काली तलाई का खेडा, तह0 केकड़ी जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. गोपाल पुत्र हरजी,
2. जगदीश पुत्री हरजी,

समस्त जाति बैरवा, निवासी काली तलाई का खेडा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
4. मदन पुत्र भूरा, जाति ढोली, निवासी कुहाडा, तह0 टोडारायसिंह, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 22.8.2013 अंतर्गत वाद संख्या 56 / 2001.

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 2 .
3. रेस्पो0 संख्या 1 एवं 4 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.8.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / अपीलांटस संख्या 1 से 5 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 92—ए, 188 व 202 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम काली तलाई, तहसील केकड़ी की आराजी खसरा नंबर 469 रकबा 0—15—00, खसरा नंबर 476 रकबा

0–06–00, खसरा नंबर 477 रकबा 58–16–00, खसरा नंबर 478 रकबा 5–19–00, खसरा नंबर 479 रकबा 8–15–00 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जो संयुक्त रूप से काश्त में चली आ रही है । परिवार का सजरा अनुसार श्योनाथ के तीन पुत्र भीया, चन्द्रा व कल्याण है । चन्द्रा का पुत्र भुवाना नाऔलाद फौत हो गया है जिसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 है अन्य कोई वारिस नहीं है । भुवाना के फौत होने से वाद वर्णित आराजियात में वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा है, इसी अनुसार निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है । वाद वर्णित आराजियात में भुवाना के फौत होने से वादी के हिस्से में 1/4 भूमि आती है जिसको प्रतिवादीगण जबरन छीनने पर उतारू हो रहे है । अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजियात के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इंद्राज किया जावे तथा 1/4 हिस्से का बंटवारा कर वादीगण को संभलाया जावे ।

3. अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भुवाना पुत्र चन्द्रा के नाऔलाद फौत होने के पश्चात् विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का 1/4 हिस्सा है इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी मौके पर काश्त करते चले आ रहे है । वाद वर्णित आराजियात में वादी को 1/4 हिस्से की आराजी का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विधिवत् बंटवारा किया जावे । वादी का वाद डिक्री किया जावे । अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 22.8.2013 द्वारा वाद वर्णित आराजियात में भुवाना के नाऔलाद फौत होने से प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण का 1/2 हिस्सा है । तथा वादी के प्रतिवादी संख्या 1 के गोद चले जाने से कल्याण का 1/2 हिस्सा वादी के हक व हिस्से में आता है । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने काल्पनिक 1/3 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 6 से 10 को बेचान किया जा चुका है । अतः वादी का 1/2 हिस्से में से बेचान की गई आराजियात को छोड़कर शेष हिस्सा बचता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/2 हिस्सा है । अतः बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किये जाकर प्रारंभिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 1/2 हिस्से का तथा वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाद वर्णित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 1/2 हिस्सा व वादी के 1/2 हिस्से में से बेचान की गई आराजियात का प्रतिवादी संख्या 6 से 10 को तथा शेष आराजियात का वादी के वारिसान के नाम दर्ज करने व अच्छी से अच्छी व खराब से खराब आराजियात का मौके पर बंटवारा कर मौके पर भूमि संभलायी जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी

मूला की ओर से अपने वादपत्र में श्योनामथ के वारिसान का सजरा प्रस्तुत किया जिसे किसी भी रूप से प्रतिवादीगण द्वारा इंकार नहीं किया गया तथा समस्त वारिसान को श्योनाथ का वारिस माना गया है परन्तु भुवाना पुत्र चंद्रा के नाऔलाद फौत होने पर भूमि कल्याण व भीया के वारिस होने के आधार पर दर्ज की जानी चाहिये थी परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने वादी मूल को कल्याण के गोद जाना कथन किया परन्तु उसके बाबत् किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी के उक्त कथन को सही मानते हए विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन को स्वीकार कर दोनों दावे जो कन्सोलिडेट हो चुके थे, का निर्णय पारित किया गया जिसमें 3 तनकियात कायम की थी जो तनकी संख्या 1 में भूमि को पुश्तैनी होने बाबत् अंकन किया गया था जिसका निर्णय गलत आधारों पर दिया गया है क्योंकि गोद जाना किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं था और न ही तनकी संख्या 1 गोद के बाबत् विचरित की गई थी फिर भी अधी0न्याया0 ने गलत से तनकी संख्या 1 का निर्णय दिया है जो निरस्तनीय है ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि तनकी संख्या 2 भी प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब के अतिरिक्त कथन के आधार पर सहमति से बंटवारे की डिक्री किये जाने का अंकन है जबकि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी भी प्रकार की कोई सहमति नही थी इसलिये सहमति के आधार पर तनकी संख्या 2 का निर्णय कानूनन नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध दिया है जबकि वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण ने अपने हिस्से की भ्ज्ञूमि का बेचान मदन पुत्र भूरा व छीतर, तेजमल, रामप्रसाद, घनश्याम को अपने जीवनकाल में ही कर दिया था इसलिये कल्याण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के बाबत् सहमति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है तथा कल्याण के कभी भी मूला गोद नहीं गया बल्कि कल्याण ने अपने जीवनकाल में समस्त आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के कर दिया इसलिये तनकी संख्या 2 का निर्णय भी गलत एवं विधिविरूद्ध किया गया है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 यह बनायी थी कि '' आया प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के अनुसार वादी कल्याण के गोद होने से दावा खारिज योग्य है।'' अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 का निर्णय तनकी संख्या 1 व 2 पर आधारित करते हुए पारित किया है जबकि गोद जाने के बाबत् प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा कोई भी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य न तो प्रस्तुत की गई और न ही सिद्ध की गई इसलिये भी अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 3 पर पारित निर्णय भी विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने मूला के वारिसान को बतौर वादी पक्षकार नहीं बनाया बल्कि केवल मूला की पुत्रियों को ही पक्षकार बनाया है इसलिये भी अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्ण्य व डिकी निरस्त किया जावे ।

7. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व उिक्री की अपीलांटस को कोई जानकारी थी क्योंकि अपीलांट के पिता ने हेमराज कानावत अधिवक्ता को अपना वकील नियुक्त कर रखा था तथा अपीलांटस के पिता के देहांत होने के बाद प्रार्थीगण को उपरोक्त मुकदमे की कोई जानकारी नहीं रही तथा इसी दौरान हेमराज कानावत अधिवक्ता के विरूद्ध ए0सी0डी0 के प्रकरण चलने से वे पुलिस व जेल अभिरक्षा मे ंचले गये इसलिये प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही हुई परन्तु

दिनांक 31.7.2014 को जब हल्का गिरदावर ने मौके पर बंटवारा हेतु आम सहमति की बात कहीं तथा मुकदमा में सहमति की बात कही तो प्रार्थीगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई । तब प्रार्थीगण ने दिनांक 1.8.2014 को नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 5.8. 2014 को नकल प्राप्त हुई । तब प्रार्थी ने श्री हेमराज कानावत, वकील के ऑफिस जाकर उनके मुंशी से पत्रावली प्राप्त कर कानूनी राय लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस द्वारा अपील विलंब से पेश की गई है तथा विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक नहीं है । अपीलांटस को विलंब के दिन–प्रतिदिन के कारण बताना आवश्यक है । अपीलांटस ने विलंब के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किये है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांटस ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया है । वादी ने अपने आपको मृतक मूला का पुत्र बताया है जबकि वादी अपने बचपन में ही प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण के गोद चला गया था तथा कल्याण की सम्पति का मालिक है । वादी कल्याण का दत्तक पुत्र होने से अब उसका भीया की आराजी में किसी प्रकार का हक व हिस्सा शेष नहीं रह जाता है । यह गोदनामा दिनांक 28.9.1999 का है । अधी0न्याया0 के समस्त उक्त दस्तावेजात एक्जीवीट हुए है जिन्हें चुनौती नहीं दी गई है। अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी मियाद के बिन्दू पर किसी भी प्रकरण का अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः मियाद में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु कुल तीन तनकियात कायम की है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 व 2 को तो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर निर्णित किया है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा कायम तनकी संख्या 3 को निर्णित नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 इस प्रकार कायम की थी कि '' आया प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के अनुसार वादी श्री कल्याण के गोद होने होने से दावा खारिज योग्य है । '' जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2 से 4––

12. अधी0न्याया0 ने इस तनकी के संबंध में अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं कर केवल मात्र तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से

वाद खारिज किया है जबकि अधी0न्याया0 को तनकी संख्या 3 के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में इस तनकी पर अपना स्पष्ट निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 को अनिर्णित रख कर विधिक त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

13. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।।

14. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.8. 2013 को खारिज कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निर्णय पारित करते हुए वाद को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 30.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर